WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092023-248807
CG-DL-E-18092023-248807

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 645] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 18, 2023/भाद्र 27, 1945
No. 645] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 18, 2023/BHADRA 27, 1945

## भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2023

**भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023**

**आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.106.**—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196 की उपधारा (1) के खंड (न) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) के विनियम 2ग के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"**2घ. धारा 7 या धारा 9 के अधीन आवेदनों की बाबत ऋण, व्यतिक्रम और परिसीमा के ब्योरे।**

धारा 7 या धारा 9 के अधीन कोई आवेदन फाइल करते समय, यथास्थिति, वित्तीय लेनदार या प्रचालन लेनदार, साक्ष्य सहित ऋण और व्यतिक्रम का कालक्रम भी, जिसके अंतर्गत वह तारीख, जब ऋण देय हुआ, व्यतिक्रम की तारीख, आंशिक संदायों की,

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



यदि कोई हैं, तारीखें, ऋण की अंतिम अभिस्वीकृति की तारीख और लागू परिसीमा भी है, प्रस्तुत करेगा ।"

3. मूल विनियमों में, विनियम 3 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

**"3क. कारपोरेट ऋणी के कार्मिकों द्वारा सहायता और सहयोग ।**

(1) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, कारपोरेट ऋणी के यथास्थिति, कार्मिकों, उसके संप्रवर्तकों या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से, इस विनियम के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट निम्नलिखित चीज़ों को अभिरक्षा और नियंत्रण में लेगा:-

(क) कारपोरेट ऋणी की, धारा 18 के खंड (क) में निर्दिष्ट आस्तियों, वित्त और प्रचालनों से संबंधित जानकारी के अभिलेख और विनियम 36 के अधीन अपेक्षित ऐसी अन्य जानकारी;

(ख) कारपोरेट ऋणी के तुलनपत्र में दर्ज संपत्ति या धारा 18 के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी अन्य अभिलेख में अभिलिखित आस्तियां ।

(2) कारपोरेट ऋणी के कार्मिक, उसके संप्रवर्तक या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को आस्तियों और अभिलेखों की अभिरक्षा और नियंत्रण सौंपते समय, उनकी एक सूची प्रदान करेगा और अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, ऐसी अभिरक्षा और नियंत्रण लेने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझा जाए तो, उस/उन कार्मिक(कार्मिकों) की पहचान करेगा जिसके/जिनके कब्जे में ये आस्तियां और अभिलेख धारण किए जाएंगे ।

(3) जहां कोई आस्ति या अभिलेख सौंपे नहीं गए हैं या उप-विनियम (2) के अधीन सूची प्रदान नहीं की गई है वहां, यथास्थिति अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, आस्तियों और अभिलेखों को अभिरक्षा और नियंत्रण में लेते समय स्वयं आस्तियों और अभिलेखों की एक सूची तैयार करेगा और अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक ऐसी अभिरक्षा और नियंत्रण लेने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझा जाए तो, उस/उन कार्मिक/कार्मिकों की पहचान करेगा जिसके/जिनके कब्जें में ऐसी आस्तियों और अभिलेख धारण की जाएंगी ।

(4) उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) के अधीन आस्तियों और अभिलेखों की प्रत्येक सूची पर प्रस्तुत पक्षकारों द्वारा और कम से कम दो ऐसे व्यष्टियों द्वारा, जो ऐसी आस्तियों और अभिलेखों को नियंत्रण और अभिरक्षा में लेने के कार्य के साक्षी रहे हों, हस्ताक्षर किए जाएंगे ।

(5) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, यथास्थिति, कारपोरेट ऋणी के कार्मिकों, उसके संप्रवर्तकों या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से धारा 18 के खंड (क) में निर्दिष्ट कारपोरेट ऋणी की आस्तियों, वित्त और प्रचालनों से संबंधित जानकारी की और विनियम 36 के अधीन अपेक्षित ऐसी जानकारी की जो कारपोरेट ऋणी द्वारा रखी जानी अपेक्षित थी किन्तु जो सौंपी नहीं गई है, अध्यपेक्षा करेगा ।

(6) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, यथास्थिति, कारपारेट ऋणी के कार्मिकों, उसके संप्रवर्तकों या कारपोरेट ऋणी के प्रबंधतंत्र से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति से उन आस्तियों की अध्यपेक्षा करेगा जो तुलनपत्र में या धारा 18 के खंड (च) में निर्दिष्ट किसी अन्य अभिलेख में अभिलिखित हैं और जिनकी अभिरक्षा सौंपी नहीं गई है।

(7) संहिता और इस विनियम के अधीन यथाध्यपेक्षित कोई आस्ति या अभिलेख प्रदान करने में असफलता की बाबत धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन से, अध्यपेक्षा के नोटिस में ऐसी आस्ति या अभिलेख की विद्यमानता और उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) के अधीन नियंत्रण और अभिरक्षा में ली गई आस्तियों और अभिलेखों की सूची में ऐसी आस्ति या अभिलेख का अभाव दर्शित होगा ।"

4. मूल विनियमों के विनियम 12 में,

(i) उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) लेनदार, लोक उद्घोषणा में उल्लिखित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सबूत सहित दावा प्रस्तुत करेगा ।

परन्तु ऐसा लेनदार, जो लोक उद्घोषणा में नियत समय के भीतर सबूत सहित दावा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, विनियम 36ख के अधीन समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तारीख तक या दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन तक, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को, सबूत सहित अपना दावा प्रस्तुत कर सकेगा ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



परन्तु यह और कि लेनदार, दिवाला प्रारंभ होने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि से परे दावा प्रस्तुत करने में विलंब के लिए कारण देगा ।"

(ii) उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा ।

5. मूल विनियमों के विनियम 13 में, उप-विनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) जहां, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, सत्यापन के पश्चात् दावे का मिलान नहीं करता है वहां वह उसके लिए कारण देगा ।

(1ख) उस दशा में, जब दावे विनियम 12 के उप-विनियम (2) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात् और यथास्थिति, समाधान योजना के संबंध में मतदान के लिए लेनदारों की बैठक की तारीख या समापन की कार्यवाही आरंभ होने से सात दिन पूर्व तक प्राप्त होते हैं तब यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, ऐसे समस्त दावों को सत्यापित करेगा और उन्हें मिलान के लिए स्वीकार्य या अस्वीकार्य रूप में वर्गीकृत करेगा ।

(1ग) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक,-

(क) लेनदार को, उप-विनियम (1ख) के अधीन उनके वर्गीकरण के सात दिन के भीतर सूचित करेगा और जहां ऐसे दावे को मिलान के लिए अस्वीकार्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है वहां उसके लिए कारण देगा; और

(ख) उप-विनियम (1ख) के अधीन स्वीकार्य के रूप में वर्गीकृत और उसके द्वारा मिलान किए गए दावों को -

(i) समिति के समक्ष उसकी अगली बैठक में लेनदारों की सूची में उसके समावेशन के लिए और समाधान योजना में, यदि कोई है, उसके व्यवहार के लिए रखेगा; और

(ii) ऐसे दावों को विलंब की माफी के लिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।"

6. मूल विनियमों के विनियम 16क में,-

(i) उप-विनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3क) उस वर्ग के ऐसे वित्तीय लेनदार, जो कम से कम दस प्रतिशत मतदान अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को अनुरोध करते हुए, प्राधिकृत प्रतिनिधि के स्थान पर अपने विकल्पानुसार दिवाला व्यावसायिक प्रतिस्थापित करने की ईप्सा कर सकेंगे, जो ऐसा अनुरोध उस वर्ग के लेनदारों को सात दिन के भीतर परिचारित करेगा और कम से कम चौबीस घंटे के लिए मतदान विंडो खुला होने की घोषणा करेगा ।

(3ख) यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक, विनियम 4क के उप-विनियम (2) के खंड (क) और खंड (ख) के अधीन रहते हुए, उस वर्ग के वित्तीय लेनदारों को विद्यमान प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ, कम से कम तीन दिवाला व्यावसायिकों के विकल्प की प्रस्थापना करेगा, जिसके अंतर्गत उप-विनियम (3क) के अधीन प्रस्तावित दिवाला व्यावसायिक भी हैं ।

(3ग) समाधान व्यावसायिक, उस प्राधिकृत प्राधिनिधि की नियुक्ति के लिए, जो उस वर्ग में वित्तीय लेनदारों के उच्चतम मतदान अंश प्रतिशत प्राप्त करता है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेगा ।"

(ii) उप-विनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(8)(क) किसी वर्ग में लेनदारों का प्राधिकृत प्रतिनिधि, समिति की प्रत्येक बैठक में अपनी उपस्थिति के लिए निम्नलिखित रीति में फीस प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

| उस वर्ग में लेनदारों की संख्या | समिति की प्रत्येक बैठक के लिए फीस (रूपयों में) |
|---|---|
| 10-100 | 30,000 |
| 101-1000 | 40,000 |
| 1000 से अधिक | 50,000 |

(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधि, उसके द्वारा बुलाई गई उस वर्ग के लेनदारों की प्रत्येक बैठक के लिए निम्नलिखित रीति में फीस प्राप्त करने का हकदार होगा, अर्थात्:-

| उस वर्ग में लेनदारों की संख्या | उस वर्ग के लेनदारों की प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ प्रत्येक बैठक के लिए फीस(रूपयों में) |
|---|---|
| 10-100 | 10,000 |
| 101-1000 | 12,000 |
| 1000 से अधिक | 15,000 |

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



(ग) प्राधिकृत प्रतिनिधि को लेनदारों की समिति के किसी बैठक के तत्स्थानी उन लेनदारों की, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, दो बैठकों की बाबत फीस का संदाय दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत का भाग होगा ।

(घ) लेनदारों की समिति की किसी बैठक की तत्स्थानी दो बैठकों से परे किसी अतिरिक्त बैठक के लिए फीस, लेनदारों की समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत का भाग होगी ।"

(iii) उप-विनियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) प्राधिकृत प्रतिनिधि,-

(क) उस वर्ग के लेनदारों को, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, समिति की बैठकों की चर्चा और विचारणाओं को समझने में सहायता प्रदान करेगा और सुविचारित विनिश्चय करना सुकर बनाएगा;

(ख) समाधान व्यावसायिक द्वारा तैयार किए गए कार्यवृत्त की अंतर्वस्तु का पुनर्विलोकन करेगा और समाधान व्यावसायिक को अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हैं, देगा;

(ग) उस वर्ग के लेनदारों को, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, समाधान व्यावसायिक द्वारा विनियम 36ग के उप-विनियम (1) के निबंधनानुसार कारपोरेट ऋणी की आस्तियों के विपणन के लिए कोई रणनीति तैयार करने में किए गए परामर्शों के दौरान सहायता देगा;

(घ) विनियम 36ग के उप-विनियम (3) के निबंधनानुसार, कारपोरेट ऋणी की आस्तियों की विपणयता को बढ़ाने के लिए उस वर्ग के लेनदारों के साथ, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, समन्वय करते हुए कार्य करेगा;

(ङ) उस वर्ग के लेनदारों को जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, समाधान आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई समाधान योजनाओं का मूल्यांकन करने में सहायता देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि उस वर्ग के लेनदारों को, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किए गए मुद्दों पर कोई राय बनाने के लिए किसी जानकारी या अपेक्षित दस्तावेज़ तक पहुंच प्राप्त हो;

(छ) उस वर्ग के लेनदारों को, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की प्रगति के संबंध में नियमित रूप से अद्यतन करेगा;

(ज) समाधान योजना के उपांतरणों के लिए ऐसे सुझाव देगा जैसा उस वर्ग के लेनदारों द्वारा, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, अपेक्षा की जाए;

(झ) उस वर्ग के लेनदारों के साथ, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, बैठक की कार्यवाहियों को अभिलिखित करेगा और कार्यवृत्त तैयार करेगा; और

(ञ) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण और अन्य विनियामक प्राधिकरणों के समक्ष अभ्यावेदनों में उस वर्ग के लेनदारों की ओर से, जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा ।

(11) इस विनियम में बैठकों के कार्यवृत्त के संबंध में उपबंध, उप-विनियम (10) के खंड (झ) के लिए यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

(12) किसी वर्ग के लेनदार, प्राधिकृत प्रतिनिधि पर समिति में उनके हित का प्रतिनिधित्व करने के संबंध में किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व की प्रस्थापना कर सकेंगे ।"

7. मूल विनियमों के विनियम 28 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) ऐसी दशा में, यदि कोई लेनदार दिवाला समाधान प्रक्रिया की अवधि के दौरान ऐसे लेनदार को देय ऋण किसी अन्य व्यक्ति को समनुदेशित या अंतरित करता है तो दोनों पक्षकार, ऐसे समनुदेशन या अंतरण के सात दिन के भीतर, यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक को ऐसे समनुदेशन या अंतरण के निबंधन और समनुदेशिती या अंतरिती की पहचान देंगे ।"

8. मूल विनियमों में, विनियम 30क के पश्चात् निम्नलिखित उपविनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"30ख. कारपोरेट ऋणी की लेखापरीक्षा

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



(1) समिति का कोई सदस्य, उद्देश्यों, परिधि, लागत का प्राक्कलन, समय-सीमा और प्रस्तावित लेखापरीक्षक(लेखापरीक्षकों) का/के नाम सहित कारपोरेट ऋणी की लेखापरीक्षा की प्रस्थापना कर सकेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन की गई प्रस्थापना पर विनियम 18 के उप-विनियम (3) के अनुसार विचार किया जाएगा और यदि ऐसी प्रस्थापना समिति द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है तो लेखापरीक्षा का संचालन किया जाएगा ।

(3) लेखापरीक्षा का संचालन ऐसे दिवाला व्यावसायिक द्वारा किया जाएगा जिसके पास ऐसी लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित अर्हताएं हैं ।

(4) लेखापरीक्षक अपने निष्कर्षों का पूरा विवरण देते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे यथास्थिति, अंतरिम समाधान व्यावसायिक या समाधान व्यावसायिक की टिप्पणियों सहित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

(5) ऐसी लेखापरीक्षा के व्ययों को दिवाला समाधान प्रक्रिया की लागत के रूप में माना जाएगा ।"

9. मूल विनियमों के विनियम 36ख में, उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(1) समाधान व्यावसायिक, विनियम 36क के उप-विनियम (12) के अधीन अंतिम सूची जारी किए जाने की तारीख से पांच दिन के भीतर अंतिम सूची में प्रत्येक समाधान आवेदक को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए एक अनुरोध जारी करेगा:

परन्तु जहां ऐसे दस्तावेज़ उपलब्ध हैं वहां इन्हें अनंतिम सूची में प्रत्येक भावी समाधान आवेदक को भी प्रदान किया जा सकेगा ।"

10. मूल विनियमों के विनियम 40क की सारणी में, विनियम 36ख से संबंधित पंक्ति के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| "विनियम 36ख | आर.एफ.आर.पी. का जारी किया जाना, जिसके अंतर्गत मूल्यांकन मैट्रिक्स और आई.एम. भी है | अंतिम सूची जारी किए जाने के पांच दिन के भीतर | टी+105 |
| | समाधान योजनाओं की प्राप्ति | आर.एफ.आर.पी. जारी करने से कम से कम 30 दिन(मान लीजिए 30 दिन) | टी+105" |

11. मूल विनियमों के विनियम 40ख के उप-विनियम (1क) की सारणी में, क्रम सं. 3 और 4 की पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| "3 | सूचना ज्ञापन, लोक उद्घोषणा की तारीख से 92 दिन के भीतर जारी नहीं किया जाता है | स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट तारीख+3 दिन | X+30वां दिन, x+60वां दिन,<br>x+90वां दिन और इसी प्रकार, क्रियाकलाप के पूरा होने तक । |
| 4 | समिति को सूचना ज्ञापन जारी किए जाने की तारीख से 10 दिन के भीतर आर.एफ.आर.पी. जारी नहीं किया जाता है | | |

12. मूल विनियमों की अनुसूची I में, प्ररूप छ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

**"प्ररूप छ**

**..........के लिए रूचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण**

**-------- पर ----(उद्योग का प्रकार) में प्रचालन करने वाला....(कारपोरेट ऋणी का नाम)**

**[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियम 36क के उप-विनियम (1) के अधीन]**

| क्रम सं. | सुसंगत विशिष्टियां | |
|---|---|---|
| 1. | कारपोरेट ऋणी का नाम, पैन और सी.आई.एन./एल.एल.पी. सं. सहित | |
| 2. | रजिस्ट्रीकृत कार्यालय | |
| 3. | वैबसाइट का यू.आर.एल. | |
| 4. | उस स्थान का ब्यौरा, जहां अधिकांश स्थिर आस्तियां अवस्थित हैं | |
| 5. | मुख्य उत्पाद/सेवाओं की संस्थापित क्षमता | |
| 6. | पिछले वित्तीय वर्ष में विक्रीत मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य | |

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



| | | |
|---|---|---|
| 7. | कर्मचारियों/कर्मकारों की संख्या | |
| 8. | अतिरिक्त ब्यौरे, जिनके अंतर्गत पिछले दो वर्षों की उपलब्ध वित्तीय विवरणियां (अनुसूचियों सहित) भी हैं, लेनदारों की सूची यू.आर.एल.: पर उपलब्ध है | |
| 9. | संहिता की धारा 25(2)(ज) के अधीन समाधान आवेदकों की पात्रता यू.आर.एल.: पर उपलब्ध है । | |
| 10. | रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तारीख | |
| 11. | भावी समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तारीख | |
| 12. | अनंतिम सूची के संबंध में आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | |
| 13. | भावी समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख | |
| 14. | भावी समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तारीख | |
| 15 | समाधान योजनाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख | |
| 16. | रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया ईमेल आई.डी. | |

समाधान व्यावसायिक के हस्ताक्षर
समाधान व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
समाधान व्यावसायिक का रजिस्ट्रीकृत पता
(कारपोरेट ऋणी का नाम) की ओर से
(तारीख और स्थान)"

13. मूल विनियमों की अनुसूची I के प्ररूप ज में,-

(क) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"6क. समाधान योजना के बारे में चर्चा और विनिशच्यों से संबंधित समिति की बैठक के कार्यवृत्त इस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न हैं ।"

(ख) पैरा 10 में, "विनियम 36(1)" और "विनियम 36क" से संबंधित पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

| | | | |
|---|---|---|---|
| विनियम 36(1) | लेनदारों की समिति को सूचना ज्ञापन प्रस्तुत करना | टी+95 | |
| विनियम 36क | रूचि की अभिव्यक्ति का आमंत्रण | टी+60 | |
| | प्ररूप छ का प्रकाशन | टी+60 | |
| | समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची | टी+85 | |
| | समाधान आवेदकों की अंतिम सूची | टी+100 | |

"

रवि मित्तल, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./427/2023-24]

**टिप्पण** : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमन, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 4 सं. 432, तारीख 30 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.004, तारीख 30 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 506, तारीख 20 जुलाई, 2023 में, अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2023-24/जी.एन./आर.ई.जी.102, तारीख 20 जुलाई, 2023 द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2023 द्वारा किया गया था ।

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



## INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

## NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2023

**Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2023.**

**No. IBBI/2023-24/GN/REG106.—**In exercise of the powers conferred by clause (t) of sub-section (1) of section 196 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Second Amendment) Regulations, 2023.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 (hereinafter referred to as 'the principal regulations'), after regulation 2C, the following regulation shall be inserted namely: -

   "**2D. Details of debt, default and limitation in respect of applications under section 7 or section 9.**

   While filing an application under section 7 or 9, the financial creditor or the operational creditor, as the case may be, shall also submit along with evidence, chronology of the debt and default including the date when the debt became due, date of default, dates of part payments, if any, date of last acknowledgment of debt and the limitation applicable."

3. In the principal regulations, after regulation 3, the following shall be inserted namely: -

   "**3A. Assistance and cooperation by the personnel of the corporate debtor.**

   (1) The interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall take custody and control as specified under this regulation from the personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor as the case may be, of the following:-

   (a) the records of information relating to the assets, finances and operations of the corporate debtor referred in clause (a) of section 18 and such other information required under regulation 36;

   (b) the assets recorded in the balance sheet of the corporate debtor or in any other records referred in clause (f) of section 18.

   (2) The personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor shall provide to the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, a list of assets and records while handing over their custody and control, and the interim resolution professional or resolution professional may, after taking such custody and control, if deemed necessary, identify person(s) in whose possession these assets and records will be held.

   (3) Where any asset or record has not been handed over or the list has not been provided under sub-regulation (2), the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall himself prepare a list of assets and records while taking custody and control of assets and records, and the interim resolution professional or resolution professional may, after taking such custody and control, if deemed necessary, identify person(s) in whose possession these assets and records will be held.

   (4) Each list of assets and records under sub-regulation (2) and (3) shall be signed by the parties present and by at least two individuals who have witnessed the act of taking control and custody of such assets and records.

   (5) The interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall requisition from the personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor as the case maybe, the i**nformation relating to the assets, finances and operations of the corporate debtor** referred in clause (a) of section 18 and such information required under regulation 36 which were required to be maintained by the corporate debtor but have not yet been handed over.

   (6) The interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall requisition from the personnel of the corporate debtor, its promoters or any other person associated with the management of the corporate debtor as the case maybe, the assets which are recorded in the balance sheet or in any other records referred in clause (f) of section 18 and whose custody has not been handed over.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



(7) An application made under sub-section (2) of section 19 in respect of failure to provide any asset or record as requisitioned under the Code and this regulation, shall show presence of such asset or record in the notice of requisition and absence of such asset or record in the list of assets and records taken in control and custody under sub-regulation (2) and (3)."

4. In regulation 12 of the principal regulations,

(i) For sub-regulation (1), the following shall be substituted, namely:-

"(1) A creditor shall submit claim with proof on or before the last date mentioned in the public announcement.

Provided that a creditor, who fails to submit claim with proof within the time stipulated in the public announcement, may submit his claim with proof to the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, up to the date of issue of request for resolution plans under regulation 36B or ninety days from the insolvency commencement date, whichever is later:

Provided further that the creditor shall provide reasons for delay in submitting the claim beyond the period of ninety days from the insolvency commencement date."

(ii) Sub-regulation (2) shall be omitted.

5. In regulation 13 of the principal regulations, after sub-regulation (1), the following shall be inserted namely:-

"(1A) Where the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, does not collate the claim after verification, he shall provide reasons for the same.

(1B) In the event that claims are received after the period specified under sub-regulation (1) of regulation 12 and up to seven days before the date of meeting of creditors for voting on the resolution plan or the initiation of liquidation, as the case may be, the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall verify all such claims and categorise them as acceptable or non-acceptable for collation.

(1C) The interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall:-

(a) intimate the creditor within seven days of categorisation thereof under sub-regulation (1B) and provide reasons where such claim has been categorised as non-acceptable for collation; and

(b) put up the claims categorised as acceptable under sub-regulation (1B) and collated by him to:-

(i) the committee in its next meeting for its recommendation for inclusion in the list of creditors and its treatment in the resolution plan, if any; and

(ii) submit such claims before the Adjudicating Authority for condonation of delay and adjudication wherever applicable."

6. In the principal regulations, in regulation 16A,

(i) After sub-regulation (3), the following shall be inserted, namely: -

"(3A) The financial creditors in the class, representing not less than ten per cent. voting share may seek replacement of the authorised representative with an insolvency professional of their choice by making a request to the interim resolution professional or resolution professional who shall circulate such request to the creditors in that class and announce a voting window open for at least twenty-four hours.

(3B) Subject to clauses (a) and (b) of sub-regulation (2) of regulation 4A, the interim resolution professional or resolution professional, as the case may be, shall offer choice of at least three insolvency professionals to the financial creditors in the class including such insolvency professional(s) proposed under sub-regulation (3A) along with the existing authorised representative.

(3C) The resolution professional shall apply to the Adjudicating Authority for appointment of the authorised representative who receives the highest percentage of voting share of financial creditors in that class."

(ii) For sub-regulation (8), the following shall be substituted; namely: -

"(8) (a) The authorised representative of creditors in a class shall be entitled to receive fee for every meeting of the committee attended by him in the following manner, namely: -

| Number of creditors in the class | Fee per meeting of the committee (Rs.) |
|---|---|
| 10-100 | 30,000 |
| 101-1000 | 40,000 |
| More than 1000 | 50,000 |

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



(b) The authorised representative shall be entitled to receive fee for every meeting of the class of creditors convened by him in the following manner, namely: -

| Number of creditors in the class | Fee per meeting of creditors in class with authorised representative (Rs.) |
|---|---|
| 10-100 | 10,000 |
| 101-1000 | 12,000 |
| More than 1000 | 15,000 |

(c) The payment of fee to authorised representative shall be part of insolvency resolution process cost in respect of two meeting with the creditors he represents corresponding to a meeting of the committee of creditors.

(d) The fee for any additional meeting beyond two meetings corresponding to a meeting of the committee of creditors shall be part of insolvency resolution process cost subject to approval of committee of creditors."

(iii) After sub-regulation (9), the following shall be inserted, namely: -

"(10) The authorised representative shall: -

(a) assist the creditors in a class he represents in understanding the discussions and considerations of the committee meetings and facilitate informed decision-making;

(b) review the contents of minutes prepared by the resolution professional and provide his comments to the resolution professional, if any;

(c) help the creditors in a class he represents during the consultations made by the resolution professional to prepare a strategy for marketing of the assets of the corporate debtor in terms of sub-regulation (1) of regulation 36C;

(d) work in collaboration with the creditors in a class he represents to enhance the marketability of the assets of the corporate debtor in terms of sub-regulation (3) of regulation 36C;

(e) assist the creditors in a class he represents in evaluating the resolution plans submitted by resolution applicants;

(f) ensure that the creditors in a class he represents have access to any information or documents required to form an opinion on issues discussed in the committee meetings;

(g) update regularly the creditors in a class he represents on the progress of the corporate insolvency resolution process;

(h) make suggestions for modifications of the resolution plan as may be required by the creditors in class he represents;

(i) record proceedings and prepare the minutes of the meeting with the creditors in a class he represents; and

(j) act as a representative for the creditors in a class he represents in representations before the Adjudicating Authority, National Company Law Appellate Tribunal, and other regulatory authorities.

(11) The provisions regarding minutes of meetings in this regulation shall apply mutatis mutandis for clause (i) of sub-regulation (10).

(12) The creditors in a class may propose any additional responsibility upon the authorised representative in relation to the representation of their interest in the committee."

7. In the principal regulations, for sub-regulation (1), in regulation 28, the following shall be substituted, namely: -

"(1) In the event a creditor assigns or transfers the debt due to such creditor to any other person during the insolvency resolution process period, both parties shall, within seven days of such assignment or transfer, provide the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be, the terms of such assignment or transfer and the identity of the assignee or transferee."

8. In the principal regulations, after regulation 30A, the following regulation shall be inserted, namely: -

"**30B. Audit of corporate debtor**

(1) Any member(s) of the committee may propose an audit of the corporate debtor along with the objectives, scope, estimate of the costs, timeframe and name(s) of the proposed auditor(s).

(2) A proposal made under sub-regulation (1) shall be considered as per sub-regulation (3) of regulation 18 and an audit shall be conducted if such proposal is approved by the committee.

(3) The audit shall be conducted by an insolvency professional having qualifications required for such audit.

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



(4) The auditor shall prepare a report detailing his findings and the same shall be presented before the committee along with the comments of the interim resolution professional or the resolution professional, as the case may be.

(5) The expenses of such audit shall be treated as insolvency resolution process costs."

9. In the principal regulations, in regulation 36B, for sub-regulation (1), following shall be substituted, namely: -

"(1) The resolution professional shall, within five days of the date of issue of the final list under sub-regulation (12) of regulation 36A, issue the information memorandum, evaluation matrix and a request for resolution plans to every resolution applicant in the final list:

Provided that where such documents are available, the same may also be provided to every prospective resolution applicant in the provisional list."

10. In the principal regulations, in regulation 40A, in the table, for the row relating to Regulation 36B, the following shall be substituted, namely: -

"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulation 36B | Issue of RFRP, including Evaluation Matrix and IM | Within 5 days of the issue of the final list | T+105 |
| | Receipt of Resolution Plans | At least 30 days from issue of RFRP (Assume 30 days) | T+135 |

"

11. In the principal regulations, in regulation 40B, in sub-regulation (1A), in the table, for rows at Sl. 3 and 4, the following rows shall be substituted, namely: -

"

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Information memorandum is not issued within 92 days from the date of public announcement | Date specified in column (2) + 3 days | $X+30^{th}$ day, $X+60^{th}$ day, $X+90^{th}$ day and so on, till the activity is completed. |
| 4 | RFRP is not issued within 10 days from the date of issue of information memorandum to the committee | | |

"

12. In the principal regulations, in Schedule-I, for Form G the following shall be substituted as under, namely: -

**"FORM G**

**INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR**

**[NAME OF CORPORATE DEBTOR] OPERATING IN [INDUSTRY TYPE] AT [LOCATION(S)]**

(Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

| SL. | RELEVANT PARTICULARS | |
|---|---|---|
| 1. | Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/ LLP No. | |
| 2. | Address of the registered office | |
| 3. | URL of website | |
| 4. | Details of place where majority of fixed assets are located | |
| 5. | Installed capacity of main products/ services | |
| 6. | Quantity and value of main products/ services sold in last financial year | |
| 7. | Number of employees/ workmen | |
| 8. | Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors are available at URL: | |
| 9. | Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at URL: | |
| 10. | Last date for receipt of expression of interest | |
| 11. | Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants | |
| 12. | Last date for submission of objections to provisional list | |
| 13. | Date of issue of final list of prospective resolution applicants | |
| 14. | Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants | |

WWW.TAXSCAN.IN - Simplifying Tax Laws



| | | |
|---|---|---|
| 15. | Last date for submission of resolution plans | |
| 16. | Process email id to submit Expression of Interest | |

Signature of the Resolution Professional
Registration Number of the Resolution Professional
Registered Address of the Resolution Professional
For (Name of the Corporate Debtor)
(Date and Place)]
"

13. In the principal regulations, in Schedule-I, in Form H, -

(i) after para 6, the following shall be inserted, namely: -

"6A. Minutes of the committee meeting relating to discussion and decisions about resolution plan are attached with this certificate."

(ii) in para 10, for the rows relating to 'Regulation 36(1)' and 'Regulation 36A', the following rows shall be substituted, namely: -

"

| | | | |
|---|---|---|---|
| Regulation 36(1) | Submission of Information Memorandum to CoC | T+95 | |
| Regulation 36A | Invitation of EoI | T+60 | |
| | Publication of Form G | T+60 | |
| | Provisional List of Resolution Applicants | T+85 | |
| | Final List of Resolution Applicants | T+100 | |

"

RAVI MITAL, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./427/2023-24]

**Note :** The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016 were published *vide* Notification No. IBBI/2016-17/GN/REG004, dated 30th November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 432 on 30th November, 2016 and were last amended by the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) (Amendment) Regulations, 2023 published *vide* notification No. IBBI/2023-24/GN/REG102, dated the 20th July, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 506 on 20th July, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.